कृपया प्रकाशनार्थ - **24 जनवरी 2009**

ढाई लाख मतदाता डुप्लिकेट है
आखिर इस तथ्य को चुनाव आयोग ने कबूला

मुंबई, शनिवार : पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री. राम नाईक की तकरार के अनुसार 2,57,193 मतदाता डुप्लिकेट है, यह बात सत्य है, इस तरह की सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री देबाशिष चक्रवर्ती ने दी है. श्री राम नाईक ने यह सूचना एक प्रेस विज्ञप्ती द्वारा दी.

इस संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए श्री राम नाईक ने कहा ,"पिछले लोकसभा चुनाव के परिणामों का विश्लेषण करने पर पता चला है कि अनेक मतदाता डुप्लिकेट है. मुंबई उपनगर जिला में पुराने मलाड, कांदिवली व बोरिवली विधानसभा क्षेत्रों में 3,57,520 मतदाता डुप्लिकेट हैं. इन सभी डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची मैंने अप्रैल 2008 को चुनाव आयोग को दी थी. उसके बाद चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार इन सभी डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची जाँच करने के लिए मैंने महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री देबाशिष चक्रवर्ती को दी थी. मतदाता सूची की जाँच कर निर्दोष मतदाताओं की सूची को प्रकाशित हो इस लिए सतत प्रयत्न चल रहे थे."

अब अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करते समय चुनाव अधिकारी ने इन 2,57,193 डुप्लिकेट मतदाताओं को नोटिस भिजवाया है ऐसी जानकारी श्री राम नाईक ने दी. चुनाव अधिकारी ने इन सभी मतदाताओं के नाम कंप्युटर सॉफ्टवेअर एप्लिकेशन के द्वारा खोज कर निकाले गये है. इसलिए प्रथम दृष्ट्या इन ढाई लाख मतदाताओं को लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1951 की धारा 17 व 18 अंतर्गत नोटिस भेजने की संपूर्ण प्रक्रिया 28 फरवरी 2009 के पहले पूरा करने का आदेश पंजीयन अधिकारियों को दिया गया है, इस प्रकार की जानकारी चुनाव अधिकारी ने श्री राम नाईक को दी है.

डुप्लिकेट मतदाताओं की हमारे द्वारा दी गई सूची के अनुसार उनकी जाँच घर-घर जाकर करनी चाहिए, सिर्फ कंप्युटर पर निर्भर रहने से काम नही ं चलेगा,ऐसी मांग श्री राम नाईक ने की है. "सिर्फ कंप्युटर के द्वारा खोजे गए नामों के अंतर्गत मतदाताओं की आयु में फर्क होने के कारण, या नाम में छोटी-मोटी भूल के कारण अनेक बार डुप्लिकेट नाम नजर नहीं आते, तब ऐसे में बिना गलती की मतदाता सूची बननी कठिण है. इसलिए प्रत्यक्ष घर-घर जाकर यह काम करना चाहिए," ऐसे भी श्री नाईक ने पत्र के आखिर में कहा है.

(कार्यालय मंत्री)

संलग्न : मुख्य चुनाव अधिकारी का 21 जनवरी का पत्र.